न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु सिंह कुन्तल आर0ए0एस

वाद पत्र संख्या– 62/2023

लालाराम पुत्र भूराराम, जाति कुम्हार निवासी ढाणी नागान तह0 जोबनेर जि0 जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जोबनेर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956
बाबत् नाम दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड

उपस्थितः– 1. श्री हनुमान जाखड, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
2. सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांकः–30.05.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया गया है कि_प्रार्थी के कब्जे खातेदारी एवं राजस्व रिकार्ड की जमीन राजस्व ग्राम डेहरा भू0अभि0नि0क्षेत्र कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसके खं0न0 769 रकबा 0.0506 है0 गैर मुमकिन चाह व खं0नं0 770 रकबा 2.5796 है0 कुल किता–2 कुल रकबा 2.6302 है0 है। जिनमे प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड मे 1/4 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे लालचन्द पुत्र भूरा गलत दर्ज हो रखा है। प्रार्थी का सही नाम लालाराम पुत्र भूराराम है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों मे नाम लालाराम पुत्र भूराराम ही दर्ज है। आधार कार्ड, राशनकार्ड, श्रमकार्ड, वोटर पहचान पत्र मे भी लालाराम पुत्र भूराराम ही दर्ज है।

प्रार्थी को उक्त आराजीयात विरासत से प्राप्त हुई है। जरिये नामान्तकरण सं0 1000 दिनांक 12/6/1985 को प्रार्थी को विरासत का जो नामान्तकरण दर्ज हुआ उसमें लालाराम की जगह सवहन से लालचन्द हो गया। जबकि सही नाम लालाराम पुत्र भूराराम दर्ज होना चाहिए। उक्त गलत नाम विरासत के नामान्तकरण में दर्ज हुआ है।

प्रार्थी ने दिनांक 13/7/2023 को श्रीमान तहसीलदार जी जोबनेर के एक प्रार्थना पत्र नाम शुद्व किये जाने बाबत् पेश किया जिस पर तहसीलदार जी जोबनेर ने हल्का पटवारी डेहरा से रिपोर्ट मंगवाने का आदेश दिया पर हल्का

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पटवारी डेहरा ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि उक्त जमीन विरासत से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र भूरा की बजाय लालाराम पुत्र भूराराम दर्ज किये जाने हेतु रिपोर्ट पेश है। इसके पश्चात् दिनांक 20/10/2023 को हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे कहा कि उक्त आराजीयात विरासत के नामान्तकरण सं0 1000 दिनांक 12/6/1985 से प्राप्त हुई है। उक्त प्रकरण लिपिकीय भूल की धारा 166 की श्रेणी मे नही आता है। इस संबंध मे सक्षम न्यायालय मे वाद पेश करके ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम डेहरा के ख0न0 769, 770 मे प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र भुरा के स्थान पर लालाराम पुत्र भूराराम शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे अमल–दरामद हेतु तहसीलदार जी जोबनेर को आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोबनेर द्वारा जवाब रिपोर्ट इस आशय की पेश की गयी कि प्रार्थी के खसरा नं0 769, 770 में वर्तमान जमाबन्दी सम्वंत 2076–2079 खाता संख्या 26 में लालचन्द पुत्र भूरा नाम दर्ज है। प्रार्थी के दस्तावेजों में लालाराम पुत्र भूरा दर्ज है। उक्त आराजीयात प्रार्थी को विरास्त से प्राप्त हुई है। वर्तमान जमाबंदी में लालचन्द पुत्र भूरा के बजाय दस्तावेजों के आधार पर लालाराम पुत्र भूरा सही नाम दर्ज किया जाना उचित होगा।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को ही दोहराया है। हमने बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया, राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र, तहसीलदार जोबनेर की जवाब/मौका रिपोर्ट का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम डेहरा के विवादग्रस्त आराजी आराजी ख.न. 769 एवं 770 में प्रार्थी का नाम लालचन्द पुत्र भूरा के स्थान पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में लालाराम पुत्र भूरा दर्ज किए जाने के आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2024 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु सिंह कुन्तल)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर (जयपुर ग्रामीण)